(113)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 283–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर अपील प्रकरण कमांक 313/2009–10.

———

1– राजेन्द्र पिता अम्बाराम पटेल
2– राकेश पिता अम्बाराम पटेल
3– पवन पिता गंगाराम
4– नारायण पिता गंगाराम
निवासीगण ग्राम बिजलपुर
तहसील व जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामरतन पिता कन्हैया लाल (मृत) द्वारा वारिसान–
1. तेजराम पुत्र स्व. रामरतन
2. कैलाश पुत्र स्व. रामरतन
3. गुलाबबाई पुत्री स्व. रामरतन
निवासीगण तराना
तहसील सांवेर जिला इंदौर
2– श्रीमती गजीबाई पति गेन्दालाल
3– शंकरलाल पिता गेन्दालाल
4– बद्रीलाल पिता गेन्दालाल
5– रमेश पिता हीरालाल
6– गोपाल पिता हीरालाल
7– गणेश पिता हीरालाल
निवासीगण तराना
तहसील सांवेर जिला इंदौर
8– श्रीमती अयोध्याबाई पति दिलीप
निवासी ग्राम बड़नगर जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

———

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री टी.टी. गप्ता, अभिभाषक, अनावेदक 1 के वारिस क. 1 व 2

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 एवं अनावेदक कमांक 8 द्वारा तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 144 एवं संहिता की धारा 38 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिलोदा तहसील सांवरे जिला इंदौर स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 135 रकबा 13.98 हेक्टेयर, ग्राम तराना तहसील सांवेर स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 182 रकबा 7.08, सर्वे नम्बर 184 रकबा 2.65, सर्वे नम्बर 187 रकबा 0.82, सर्वे नम्बर 228 रकबा 3.36 उनके दादाजी एवं मृतक अनावेदक कमांक 1 के पिता कन्हैयालाल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी । स्व. कन्हैयालाल के तीन पुत्र हीरालाल, गेंदालाल, रामरतन तथा कन्हैयालाल की बेवा नंदीबाई के मध्य विगत 25 वर्ष पूर्व आपसी व्यवस्था के अनुसार हीरालाल के हिस्से में ग्राम तराना की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 182 रकबा 6.00 एकड़, सर्वे नम्बर 187 रकबा 0.82 एकड़ तथा गेंदालाल के हिस्से में ग्राम तराना की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 182 पैकी रकबा 1.08 एकड़, सर्वे नम्बर 184 रकबा 2.65 एकड़ व ग्राम सिलोदा में सर्वे नम्बर 135 पैकी रकबा 3.12 एकड़ एवं रामरतन के हिस्से में ग्राम तराना की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 228 रकबा 3.36 एकड़, ग्राम सिलोदा में सर्वे नम्बर 135 पैकी रकबा 3.13 एकड़ और कन्हैयालाल की बेवा नंदीबाई के हिस्से में ग्राम सिलोदा की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 135 रकबा 7.73 एकड़ भूमि का विभाजन होकर वे अपने–अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर सतत काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते रहे हैं । हीरालाल द्वारा ग्राम तराना स्थित अपने हिस्से की भूमि सर्वे नम्बर 187 रकबा 0.82 तथा गेंदालाल द्वारा ग्राम सिलोदा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 135 रकबा 3.12 एकड़ एवं मृतक अनावेदक कमांक 1 रामरतन द्वारा अपने हिस्से की ग्राम सिलोदा की भूमि सर्वे नम्बर 135 रैकी रकबा 3.13 एकड़ बेच दी । हीरालाल द्वारा व्यवहार न्यायालय में विभाजन एवं घोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु दीवानी वाद कमांक 48ए/90 प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 18–12–2001 को निर्णय व डिक्री पारित कर आपसी बटवारा होना तथा प्रत्येक के हिस्से में होने के संबंध में निष्कर्ष

दिया है । माननीय व्यवहार न्यायालय के निर्णय के अनुसार गेंदालाल को तराना की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 182 पैकी रकबा 1.08 एकड़ व सर्वे नम्बर 184 रकबा 2.65 एकड़ कुल 3.73 एकड़ का मालिक स्वत्व व हिस्सेदार माना है । दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार मृतक अनावेदक कमांक 1 रामरतन द्वारा तहसीलदार, सांवेर के न्यायालय में कृषि भूमि का बटवारा व नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार दिनांक 20–6–03 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 व 8 के पक्ष में सर्वे नम्बर 182/2 रकबा 0.437 तथा सर्वे नम्बर 184 रकबा 1.072 का बटवारा स्वीकृत किया गया जाकर उनके नाम उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 27–1–2004 को आदेश पारित कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–6–2004 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 व 8 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 184 रकबा 1.072 में से उनको 184/1 रकबा 0.725 मालिक मानते हुए तथा मृतक अनावेदक कमांक 1 रामरतन को सर्वे नम्बर 184 पैकी 184/2 रकबा 0.357 का मालिक मानकर उसके नाम बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–5–2005 को आदेश पास्ति कर अपील निरस्त कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–12–2005 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 9–5–2006 को आदेश पारित कर प्रारंभिक स्तर पर ही उनकी निगरानी निरस्त की गई । राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 व 8 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कमांक 4582/06 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26–4–2007 को रिट पिटीशन स्वीकार करते हुए तहसीलदार का बटवारा आदेश दिनांक 20–6–03 को यथावत रखा जाकर, तहसीलदार का आदेश दिनांक 21–6–2004

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 11–5–2005, अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–12–2005 एवं राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 9–5–2006 निरस्त किये गये । तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दिनांक 28–12–07 को आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध मृतक अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–4–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध मृतक अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–10–2011 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–07 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–4–2010 निरस्त किये जाकर माननीय उच्च न्यायालय की मंशा अनुसार उभय पक्ष को सुनकर विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने एवं न्यायिक प्रकिया का पालन नहीं किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज होने की जानकारी होने के उपरांत भी विवादित आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि विवाद केवल सर्वे नम्बर 184 के संबंध में है, फिर भी अपर आयुक्त द्वारा शेष भूमियों के संबंध में आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि स्वत्व संबंधी विवाद व्यवहार न्यायालय द्वारा निराकृत किया जा चुका है, इसके उपरांत भी उसमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का विधिवत पालन नहीं कर, विवादित आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के वारिस कमांक 1 व 2 के अभिभाषक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ शेष अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

6/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष निम्न न्यायालयों में पक्षकार नहीं रहा है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर विधिवत विश्लेषण करते हुए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28–4–2007 के प्रकाश में उभय पक्ष को सुनकर विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही किया जाना है, अतः आवेदकगण तहसील न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–2007 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर